

85 शीशी अवैध नेपाली शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, अभियोग पंजीकृत

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन में श्री अजय कुमार निरीक्षक आबकारी विभाग मय टीम तथा थाना ढेबरूआ पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक 03.02.2021 को समय 15.30 बजे मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त संजय साहू पुत्र नरसिंह साहू निवासी नगरपालिका, वार्ड संख्या 8 आज़ाद नगर बढनी थाना ढेबरूआ, जनपद सिद्धार्थनगर को मोटरसाइकिल और 85 शीशी अवैध नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 17/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01-संजय साहू पुत्र नरसिंह साहू निवासी नगरपालिका, वार्ड संख्या 8 आज़ाद नगर बढनी थाना ढेबरूआ, जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. आबकारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह जनपद सिद्धार्थनगर मय हमराह पुलिस टीम ।
2. उपनिरीक्षक श्री अम्बुज शर्मा, थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर मय पुलिस बल!

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा क्षेत्राधिकारी, डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री रवीन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 04.02.2021 को थाना भवानीगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत 01 अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय भेजा गया ।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 05 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी ।

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.02.2021 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानो की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास, पार्क तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 05 शोहदे पकड़े गये । शोहदो द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया ।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गावो तथा विद्यालयो मे जागरूकता अभियान चलाया गया । जिसके अंतर्गत आज प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वाड सिद्धार्थ नगर तथा जनपद में सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर

हेल्पलाईन, 181 महिला हेल्पलाईन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा और यातायात नियमों के सम्बन्ध जानकारी दी गयी ।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- विभिन्न थानो पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

04

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 04-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर ।

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 04-02-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 231 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 77 वाहनों का चालान कर ₹ 75,600/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।